



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 1, 2016/माघ 12, 1937

No. 75]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 1, 2016/MAGHA 12, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2016

सं. 01/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 132(अ).—केन्द्र सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. लघु शीर्ष और प्रारम्भन – (1) इन नियमों का नाम सेनवेट क्रेडिट (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 है।
(2) ये नियम 1 मार्च, 2015 से लागू होंगे।
2. सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 में, नियम 3 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (vii) में परंतुक को विलोपित किया जाएगा;

[फा.सं. 6/14/2014-सीएक्स 1 (पार्ट)]

सन्तोष कुमार मिश्रा, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम, दिनांक 10 सितम्बर, 2004 की सा.का.नि. सं. 600(अ) [अधिसूचना सं. 23/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.), दिनांक 10 सितम्बर, 2004] के अंतर्गत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और इनमें दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 की सा.का.नि. सं. 1028 (अ) [अधिसूचना सं. 27/2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.) दिनांक 31 दिसम्बर, 2015] के अंतर्गत अंतिम बार संशोधन किया गया था।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2016

No. 01/2016 - Central Excise (N.T.)

G.S.R. 132(E).—In exercise of the powers conferred by Section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the CENVAT Credit (First Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force with effect from the 1st day of March, 2015.

2. In the CENVAT Credit Rules, 2004, in rule 3, in sub-rule (1), in clause (vii), the proviso shall be omitted;

[F. No. 6/14/2014-CX.I (Pt.)]

SANTOSH KUMAR MISHRA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 600(E) dated the 10th September, 2004 {Notification No. 23/2004 Central Excise (N.T) dated the 10th September, 2004} and was last amended vide number G.S.R. 1028(E), dated the 31st December, 2015 {Notification No. 27/2015 -Central Excise (N.T.), dated the 31st December, 2015}.